अजमेर

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अपील योग्य नही होने से खारिज 26/7/2019

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्री लालसिंह पुत्र रतनसिंह ....बनाम........ (सीधा (मृ.) 11, कमला पत्नि कालूसिंह

जाति रावत नि. कांकरदा भूणाबाय .... रावत नि. डाबराबुरा तह. अजमेर, (अजमेर)

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट ....नम्बर 252/2019 ....सन् 2019 ( )

2019/00252

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इस्ताक्षर श्री मदनपुरी गोस्वामी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
26.07.19	यह अपील श्री मदनपुरी गोस्वामी एड्वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 15.07.2019, प्रकरण संख्या 104/2016 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील वाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील पर प्रथमतः पोषणीयता के बिन्दु पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में बताया कि ऐसे अंतरिम आदेश की अपील न्यायालय हाजा में ही पोषणीय होने बाबत् कथन किया यह अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हैं तथा न्यायालय हाजा को ऐसे आदेश की विरूद्ध अपील सुनने का पूर्ण क्षैत्राधिकार हैं। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम कांकरदा भूणाबाय तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके चौसाला खसरा नम्बर 674 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा जिसके वर्किण खसरा नम्बर 796 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा तथा हाल खसरा नम्बर 1126 रकबा 0.09 हैक्टर एवं 1128 रकबा 0.14 है. हैं, जो अपीलांटस के दादा हजारी पुत्र नाहरा के कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर पूर्व में अपीलांटस के दादा हजारी पुत्र नाहरा का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान में अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है, संलग्न खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2024, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2047, 2049 से स्वंय सिद्ध है। अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 15/2019 प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा ने अपील का आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये थे कि प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस में करें । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय की अवहेलना की है तथा आज दिनांक तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत् यह प्रावधान दिये गये है कि जहॉ विवादित आरजीयात के संदर्भ में कोई वाद विचाराधीन है तो वाद को दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तो उपरोक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश पारित करना न्यायालय का कर्तव्य है जिससे बेवजह अन्य कार्यवाहियॉ ना बढ़े। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावे एवं अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने एवं विवादित आराजी के रहन,बय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने अपने	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार ....

P.T.

आदेश

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

252/2019/225 शैतान सिंह ओ० व/ स० (वीणा (मृ) कमला मो०

तारीख पेशी	2019/00252 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मदनपुरी गोस्वामी, एड० उपस्थित श्री	
निरन्तर....	आदेशिका दिनांक 15.07.2019 में यह अंकित कि–"प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.कातश्कारी अधिनियम पर मान्नीय राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर के द्वारा पारित निर्णय की पालना में सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया। अप्रार्थी अभिभाषक श्री अमर सिंह ने फर्द दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में निर्णय समस्त पक्षकारान की तलबी पूर्ण नहीं हुई है जबकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करने के आदेश दिये गये है। प्रार्थी अभिभाषक प्रकरण में मुर्तिब पक्षकारान की तलबी हेतु आज ही नोटिस तलबाना पेश करें, पेश होने पर जारी हो। मिसल दिनांक 30.9.2019 को पेश हो। " जिसके विरूद्व प्रार्थीगण/अपीलांटस ने उक्त उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त अपील सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणायोग्य नहीं हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing." । मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। **अतः अपील अपीलांट श्रवणा योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** 26/7/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	